



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III— Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2018/आषाढ़ 8, 1940

No. 246]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2018/ASHADHA 8, 1940

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

फा. सं. एनसीटीई-रेगु 012/16/2018.—निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 31 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 750(अ), दिनांक 31 मार्च, 2010 के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्वारा इस अधिसूचना की तिथि से पुनः अधिसूचना संख्या फा. सं. 61-03/20/2010/एनसीटीई/(एनएंडएस), दिनांक 23 अगस्त, 2010 को भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग III, अनुच्छेद 4, दिनांक 25 अगस्त, 2010 को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी करती है:

(1) उपरोक्त अधिसूचना में पैरा 1, उप-पैरा (i), अनुच्छेद (ए) में शब्दों और कोष्ठकों के बाद "स्नातक तथा प्राथमिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो), निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:—

अथवा

"50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बी.एड.)"

2. उपरोक्त अधिसूचना में पैरा 3, उप-पैरा (ए) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा होगा:—

"(ए) जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से शिक्षा-स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उस पर कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, किन्तु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा।"

संजय अवस्थी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./121/18-19]

नोट : प्रमुख अधिसूचना भारत के राजपत्र में, दिनांक 25 अगस्त, 2010 को असाधारण, भाग III, अनुच्छेद 4 में दिनांक 23 अगस्त, 2010 सं. 61-03/20/2010/एनसीटीई (एनएंडएस) प्रकाशित हुई थी जिसे दिनांक 29 जुलाई, 2011 को सं. 61-1/2011/एनसीटीई (एनएंडएस) से संशोधित किया गया था।

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2018

F. No. NCTE-Regl 012/16/2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009) and in pursuance of notification number S.O. 750(E), dated the 31st March, 2010 issued by the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, the National Council for Teacher Education (NCTE) hereby makes the following further amendments to the notification number F.N. 61-03/20/2010/NCTE/(N&S), dated the 23rd August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th August, 2010, hereinafter referred to as the said notification namely:—

(1) In the said notification, in para 1 in sub-para (i), in clause (a) after the words and brackets “Graduation and two year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), the following shall be inserted, namely:-

OR

“Graduation with at least 50 % marks and Bachelor of Education (B.Ed.)”

2. In the said notification in para 3, for sub-para(a), the following sub-para shall be substituted namely:-

“(a) who has acquired the qualification of Bachelor of Education from any NCTE recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in classes I to V provided the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a six month Bridge Course in Elementary Education recognized by the NCTE, within two years of such appointment as primary teacher”.

SANJAY AWASTHI, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./121/18-19]

Note : The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th August, 2010 vide number 64-03/20/2010/NCTE(N&S), dated the 23rd August, 2010 and amended vide number 61-1/2011/NCTE(N&S), dated the 29th July, 2011.

www.rajteachers.com